यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी भीमताल, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी भीमताल, के माह मार्च 2014 से नवम्बर/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2017 से 07.12.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार एवं श्री आनन्द कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2014 से 13.03.2014 तक श्री प्रेमचन्द लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापीरक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2010 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रान्तीय रत्रक दल स्वयं सेवकों की भर्ती, सुढडीकरण युवा महोत्सव का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित खेल विधा प्रतियोगिता, विकास खण्ड स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक/महिला मंगल का गठन, पंजीकरण एवं मार्गदर्शन, सर्वक्षेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अन्र्तगत प्रोत्साहित किया जाना, खेल मैदान का विकास एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में कार्य निस्पादन हेतु ड्यूटी लगायी जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त नैनीताल जनपद है।

(ब) जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी भीमताल, एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र बताया जाय।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	90.64	75.88	123.00	123.00	--	14.76
2015-16	--	--	84.59	78.10	135.23	135.23	--	6.49
2016-17	--	--	107.90	93.33	150.00	150.00	--	14.57
2017-18 (Nov/2017	--	--	102.13	63.33	110.33	64.37	--	84.76

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी (जिस श्रेणी के अर्न्तगत इकाई आती है, उसे इंगति किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. अपर सचिव 3. निदेशक 4. वित्त नियंत्रक 5. संयुक्त निदेशक 6. उपनिदेशक 7. सहायक निदेशक 8. सहायक समादेष्टा 9. सहायक लेखाधिकारी 10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी भीमताल, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, भीमताल, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 11/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, भीमताल, का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी भीमताल, के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ..... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो (ब)</u>

प्रस्तर **01:** शासनादेशों का उल्लंघन कर बैंक खाते का संचालन एवं **₹ 39.57** लाख धनराशि का अवरोधन।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 99XXVII(14)/ दिनांक 03.09.2009 द्वारा सभी विभागों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सरकारी विभागों में कार्यों हेतु बैंकों में खाता खोलने का कोई प्रावधान नही है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गई हो। यदि कोई अनुधिकृत बैंक खाता खोला गया है तो उसे तत्काल बन्द किया जाये एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी.एल.ए. में तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशीर्ष में तत्काल जमा कर दिया जाये।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई के बैंक खाता सं0 98430100000881, बैंक ऑफ बड़ौदा में दिनांक 15 नवम्बर 2017 को ₹ 39.57 लाख की धनराशि शेष है जिसमें से ₹ 89747/- की धनराशि अर्जित ब्याज से सम्बन्धित है। शेष धनराशि अन्य मदों से सम्बन्धित है जांच में आगे पाया गया कि उक्त खाता वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश से पूर्व खोला गया था। खाता संचालित करने हेतु वित्त विभाग से कोई विशेष आदेश प्राप्त नही है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त बैंक खाते को बन्द न करने एवं उपलब्ध धनराशि को व्यय न किये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया। इकाई ने मात्र इतना बताया कि ब्याज की धनराशि विभागीय लेखाशीर्ष में जमा की कार्यवाई की जा रही है।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर इकाई द्वारा बैंक खाता संचालित किया गया एवं ब्याज की धनराशि को खाते में ही रखा गया। यह भी स्पष्ट है कि पायका के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र सं0 1079/ऑडिट-पायका/2016-17 दिनांक 23.09.2017 तथा इसमे उल्लिखित अन्य सभी आदेशों का बारम्बार उल्लंघन कर पायका की धनराशि एवं ब्याज को उक्त खाते में अवरूद्ध रखा गया।

अतः शासनादेशों का उल्लंघन कर बैंक खाता संचालित करने एवं ₹ 39.57 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **01:** दैनिक उपस्थिति को नजरअन्दाज कर स्वंयसेवकों को **₹ 5.03** लाख का अनुचित एवं अधिक मानदेय भुगतान।

उत्तराखण्ड सरकार के युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की मांग के आधार पर पी.आर.डी. स्वंयसेवकों की तैनाती की जाती है एवं ड्यूटी के अनुसार मस्टर रोल में उपस्थित के आधार पर प्रतिदिन के अनुसार दैनिक मानदेय का भुगतान स्वयंसेवकों को दिया जाता है।

लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड की बोर्ड परीक्षा 2016 में दिनांक 04.03.2016 से 02.04.2016 तक आयोजित की गई परीक्षाओं में विभाग द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर स्वंयसेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी। उक्त कार्य हेतु स्वंयसेवको को मस्टर रोल में उपस्थिति के आधार पर ₹ 350/- की दर से दैनिक मानदेय का भुगतान किया जाना था। जाँच में आगे पाया गया कि स्वंयसेवकों को 31 दिन से 33 दिन का मानदेय का भुगतान किया गया। जबकि परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार उक्त अवधि में अधिकतम 18 परीक्षा दिवसों में परीक्षा आयोजित की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में स्वंयसेवको को ₹ 11.52 लाख का भुगतान किया गया। जबकि परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मात्र 6.49 लाख की धनराशि देय थी। फलस्वरूप स्वंयसेवकों की उपस्थिति, कार्यदिवस एवं मस्टररोल को नजरअन्दाज कर अनुचित तरीके से लाभ पहुचाने के उद्देश्य से ₹ 5.03 लाख का अधिक भुगतान किया गया (विवरण संलग्न)। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जाँच में यह भी प्रकाश में आया कि उक्त भुगतान हेतु विद्यालयों/केन्द्र व्यवस्थापकों से मस्टर रोल प्राप्त करने के स्थान पर विभाग द्वारा स्वंय मस्टर रोल तैयार कर उसे क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों से सत्यापित करवाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण में उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा भी बिन्दु का स्पष्ट उत्तर नही दिया गया। विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि ड्यूटी प्रारम्भ होने से समादित के दिन तक का ड्यूटी भत्ता का भुगतान स्वंयसेवकों को दिया गया। विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों द्वारा टोकन वेब के नाम पर एक दिन की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र को भी सन्दर्भित किया गया है जबकि वह निर्देश स्थायी तौर पर विभागों से सम्बन्ध स्वंयसेवकों हेतु है।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योंकि इससे दैनिक आधार पर मानदेय भुगतान के मूल सिद्धान्त का उल्लंघन होता है जिसके लिए विभाग के पास कोई विशेष शासकीय स्वीकृति नही है।

अतः मस्टर रोल एवं दैनिक उपस्थिति को नजरअन्दाज कर प्रान्तीय स्वंयसेवकों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ₹ 5.03 लाख के अनुचित एवं अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02: विभाग के लचर वित्तीय प्रबन्धन के कारण ₹ 6.00 लाख धनराशा का अपेक्षित उद्देश्यों हेतु व्यय का अप्रमाणन।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में युवा दलों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु जनपद के प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी को धनराशि उपलब्ध करायी गई। जिससे चयनित मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान की जानी थी। तदोपरान्त विभाग द्वारा सामग्री की प्राप्ति रसीद एवं विकास खण्डों से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर निदेशालय को सूचना प्रेषित की जानी थी। माह मई 2016 में विकास खण्डों को निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराई गई।